हरियाणा सरकार

# विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा

की

# वर्ष 1986-87

की

# वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

5455
370.6
HAR

# विषय-सूची


| क्र० सं० | अध्याय-शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | समीक्षा (अंग्रेजी एवं हिन्दी) | 1–8 |
| 1. | शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन | 9–12 |
| 2. | प्राथमिक शिक्षा | 13–18 |
| 3. | माध्यमिक शिक्षा | 19–24 |
| 4. | प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा | 25–31 |
| 5. | छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता | 32–34 |
| 6. | विविध | 35–40 |



NIEPA DC

D05075

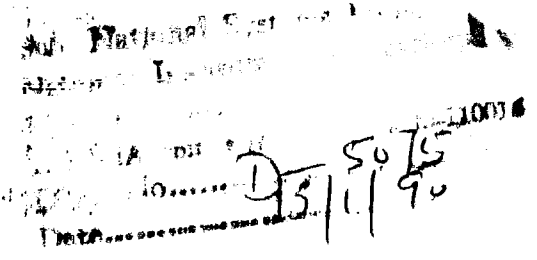

# REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1986-87 OF SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

For running the work relating to School Education there is an Office of the Director of School Education in addition to Administrative Department, which keeps co-ordination between Government and District Offices, implements education policies and inspects the education work. There are Offices of the District Education Officers for running the Educational Administration and Inspection of each District. For Educational Administration and Inspection work of Primary Education there are Offices of Block Education Officers.

For the educational and administrative work of adult education and non-formal education there are Offices of Adult Education Officers at district level.

During the year 1986-87 the main Education work/policies of the State are as under :—

**Primary Education**

Education for the children of 6-11 age is available at walkable distance in the State. Free education is provided to the children of 6-11 age in Govt. Primary Schools. Free Stationery was provided to the children of Scheduled Castes and Weaker Sections of Society. Free uniforms were provided to girl students of Scheduled Castes for their encouragement. Attendance Scholarships of Rs. 135.00 lakhs were given to Scheduled Caste girls at the rate of Rs. 10/- per girl per month.

There is no detention of students in first and second classes in the State. The Primary School Teachers organise monthly meetings in established School Complex Centers to discuss their teaching problems with one another.

95.8% Boys & 71.2% Girls of all categories and 103.0% Boys and 81.0% Girls belonging to Scheduled Castes in the age group 6-11 are studying in Primary Classes in the State.

100 New Primary Schools were opened and 79 branch Primary Schools were up-graded to full-fledged Primary Schools in the year 1986-87.

**Secondary Education**

Free education is provided from 6th to 8th classes to all students. Girls of 9th to 12th classes in Government Schools of the State are also given free education. Special coaching is given to the Scheduled Caste students of 9th to 11th classes in subjects of Mathematics, English and Science for three months every year so that such weak students can compete with other students.

200 Primary Schools were up-graned to Middle and 107 Middle Schools were up-graded to High Standard in the year 1986-87. Ten Schools were granted permanent recognition.

The percentage of School going children in the age-group 11-14 is 78.1% Boys and 40.0% Girls and 43.7% Boys and 18.4% Girls in the age-group 14-16. The percentage of School going students belonging to Scheduled Castes is 64.8% Boys and 24.0% Girls in the age-group 11-14 and 29.7% Boys and 6.5% Girls in the age-group 14-16.

**Adult Education**

Adult Education Programme was started at large scale on October 2,1978. Earlier 998 Centres of Adult Education were running in some Districts of the State. 5999 Adult Education Centres were functioning in 1986-87 in which 42741 men and 142363 women got literacy.

There is Shramik Vidya Peeth in Faridabad for providing education to labourers.

The expenditure on Adult Education in the year 1986-87 was Rs. 192.11 lakhs (Provisional).

**Non-Formal Education**

There was an arrangement of Non-Formal Education in the State for the children of 6-14 age-group who could not get School Education due to family, economic, social or any other reason 6036 Centres of Non-Formal Education were functioning in the

year 1986-87 in which 60873 Boys and 110062 Girls received education Free Stationery and Text Books were provided to students for encouragement.

During the year 1986-87 Rs-87.43 lakhs were spent on Non-Formal Education.

**Other Programmes**

1. A State Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of educational institutions, administrators connected with education and teachers through the activities of standardization of education, research, innovation, study and training.

2. Socially useful productive work is compulsory subject for Secondary Classes. Rs. 6.87 lakhs were spent on work experience in 1986-87.

3 Rs. 330.77 lakhs were spent by Public Works Department on construction of school building/class rooms of Govt. Primary/Middle/High/Higher Secondary Schools.

4. The language of Haryana State is Hindi. English is taught as second language from 6th class and in addition Punjabi, Sanskrit and Urdu as Third language. The facility of teaching of Telugu is also available in 35 schools.

5 An amount of Rs. 37.50 lakhs was sanctioned for strengthening the Book-Banks. Paper at cheap rate was given to approved small Industrial Units for supplying cheap Note-Books.

6. Selected teams from Schools of State got 110 Medals in School Sports Competitions. Rs. 15.00 lakhs were distributed amongst 500 Primary Schools at the rate of Rs. 3,000/- per School for providing Sports Material and promoting sports facilities

7 Aid of Rs. 7.89.325/- was given from National Teachers Welfare Fund to teachers and their dependents in uncongenial circumstances

8 Three Committees have been constituted in the State which review the implementation of New Education Policy.

# विद्यालय शिक्षा विभाग की वर्ष 1986-87 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

विद्यालय शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकीय विभाग के अतिरिक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा का कार्यालय है, जो शिक्षा नीतियों का कार्यान्वित करने और शिक्षा कार्य का निरीक्षण करने के लिये सरकार और जिला कार्यालयों के बीच तालमेल बनाये रखता है। शिक्षा प्रशासन को चलाने और जिला शिक्षा प्रशासन के लिये प्रत्येक जिले का निरीक्षण करने के लिये जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं और प्राथमिक शिक्षा का निरीक्षण कार्य करने के लिये खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय है।

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य के लिये जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं।

वर्ष 1986-87 के दौरान मुख्य शिक्षा कार्य/नीतियाँ निम्नानुसार हैं:-

**प्राथमिक शिक्षा**

राज्य में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा पैदल चलने योग्य दूरी पर उपलब्ध है। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त लेखन सामग्री दी गई। अनुसूचित जातियों की छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिये मुफ्त वर्दी दी गई। अनुसूचित जातियों की छात्राओं को 10/- रुपये मासिक प्रति छात्रा के हिसाब से 135.00 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्तियां दी गई।

राज्य में पहली तथा दूसरी श्रेणी में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन अधिगम समस्याओं पर परस्पर विचार-विमर्श करने के लिये विद्यालय केन्द्रों में मासिक बैठकें करनी हैं।

राज्य में 6–11 आयु वर्ग के कुल 95.8 प्रतिशत लड़के तथा 71.2 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक श्रेणियों में पढ़ रहे हैं जिनमें से 105.0 प्रतिशत लड़के तथा 81.0 प्रतिशत लड़कियां अनुसूचित जातियों से हैं ।

वर्ष 1986–87 में 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये और 79 शाखा प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर पूर्ण प्राथमिक विद्यालय बना दिये हैं ।

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में छठीं से आठवीं तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। राजकीय विद्यालयों में 9 वीं व 12 वीं कक्षाओं की छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं । नौवीं से ग्यारहवीं कक्षाओं के अनुसूचित जातियों के छात्रों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के विषयों में वर्ष में तीन मास की विशेष कोचिंग दी जाती है, ताकि अनुसूचित जातियों के कमजोर छात्र अन्य छात्रों की समानता में आ जायें ।

वर्ष 1986–87 में 200 प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 102 विद्यालयों का माध्यमिक से दर्जा बढ़ाकर उच्च किया गया है। दस विद्यालयों को स्थाई मान्यता दी गई ।

11–14 वायु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 78 1 लड़के और 40.0 लड़कियां हैं और 14–16 आयु के बच्चों की प्रतिशतता 43 7 लड़के तथा 18.4 लड़कियां हैं। अनुसूचित जातियों के 11–14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 64.8 लड़के तथा 24 0 लड़कियां हैं और 14–16 आयु वर्ग में उनकी प्रतिशतता 29 7 लड़के और 6.5 लड़कियां हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया था । इससे पहले प्रौढ़ शिक्षा के 998 केन्द्र राज्य के कुछ जिलों में चल रहे थे । वर्ष 1986-87 में 5999 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 42741 पुरुषों और 142363 महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की ।

फरीदाबाद में श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए श्रमिक विद्यापीठ है ।

वर्ष 1986-87 में प्रौढ़ शिक्षा पर 192.11 लाख रुपये (अस्थाई) खर्च किए गए ।

**अनौपचारिक शिक्षा**

राज्य में 6-14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और किसी अन्य कारणों से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था थी । वर्ष 1986-87 में अनौपचारिक शिक्षा के 6036 केन्द्र कार्यरत थे । जिनमें 60871 लड़के तथा 110062 लडकियों ने शिक्षा प्राप्त की । प्रोत्साहन के लिए छात्रों को मुफ्त लेखन सामग्री और पाठ्य पुस्तकें दी गई ।

वर्ष 1986–87 के दौरान 87.43 लाख रुपये अनौपचारिक शिक्षा पर खर्च किये गए थे।

**अन्य कार्यक्रम**

1. शिक्षा स्तर को सम्पुन्नत करने सम्बन्धी क्रियाकलापों, नयी पद्धति अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों को मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है ।

2. माध्यमिक कक्षाओं के लिए सामाजिक उपयोगात्मक उत्पादन कार्य को अनिवार्य विषय बना दिया गया है । वर्ष 1986-87 में कार्य अनुभव के लिए 6.87 लाख रुपये खर्च किये गये ।

3. राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों/कक्षों के निर्माण पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 330.77 लाख रुपये खर्च किये गये ।

4 हरियाणा राज्य की भाषा हिन्दी है । अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में छठीं कक्षा से पढ़ाई जाती है तथा पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के

अतिरिक्त तृतीय भाषा के रूप में 35 विद्यालयों में तेलगू पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है ।

5. बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 37.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी । सस्ती कापियां सप्लाई करने के लिए अनुमोदित लघु औद्योगिक यूनिटों को सस्ती दर पर कागज दिया गया था ।

6. राज्य के विद्यालयों की चुनिंदा टीमों ने विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में 110 मैडल प्राप्त किये। खेलकूद सामग्री की व्यवस्था करने और खेल-कूद सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 3000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से 500 प्राथमिक विद्यालयों पर 15 लाख रुपये खर्च किये गये ।

7. विपदाग्रस्त परिस्थितियों में अध्यापकों तथा उन पर आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण निधि से 789325 रुपये की सहायता दी गई ।

8. नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने हेतु तीन समितियां गठित की गई है, जो नई शिक्षा नीति के कार्यान्वियन की समीक्षा करती है ।

# अध्याय पहला

## शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1986-87 में श्रीमती शारदा रानी ने राज्य शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किया ।

### (क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल०एम० जैन आई०ए०एस० रहे । उप सचिव के पद पर श्री अलकधारी तथा पिछले 5 मास में संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती कमला चौधरी रही ।

### (ख) निदेशालय स्तर पर

वर्ष 1986-87 में निदेशक, विद्यालय शिक्षा के पद पर श्रीमती प्रोमीला इस्सर आई०ए०एस० ने कार्य किया । निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया ।

| पदों का नाम | अधिकारियों की संख्या |
|---|---|
| 1. अतिरिक्त निदेशक | 1 |
| 2. निदेशक, एस०आर०सी० | 1 |
| 3. संयुक्त निदेशक | 2 |
| 4. उप निदेशक | 5 |
| 5. अध्यक्ष, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा | 1 |
| 6. राज्य सर्वेक्षण अधिकारी | 1 |
| 7. सहायक निदेशक | 8 |

| पदों की संख्या | | अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 8. | खेल अधिकारी | 1 |
| 9. | लेखा अधिकारी | 1 |
| 10. | बजट अधिकारी | 1 |
| 11. | सहायक सर्वेक्षण अधिकारी | 2 |

1.2 जिला प्रशासन

राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा के विकास प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायीत्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त है।

इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त है। परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं।

वर्ष 1986-87 में भारत सरकार द्वारा आयोजित पांचवें शिक्षा सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों में एक-एक जिला सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई।

1.3 खंड स्तर पर

सभी प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 118 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खंड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी है।

## 1.4 राजकीय विद्यालय

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध क्रमश: मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

## 1.5 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

## 1.6 शिक्षा पर व्यय

शिक्षा विभाग का वर्ष 1986-87 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :–

(क) प्रत्यक्ष (राशि लाखों में)

| मद | योजनोत्तर | योजना | कुल |
|---|---|---|---|
| माध्यमिक शिक्षा | 5650.72 | 400.55 | 6051.27 |
| प्राथमिक शिक्षा | 5574.34 | 867.19 | 6441.53 |
| विशेष शिक्षा | 74.56 | 1.50 | 76.06 |
| अविष्ट | 9.23 | — | 9.23 |
| योग | 11308.85 | 1269.24 | 12579.09 |

| (ब) परोक्ष व्यय | | | |
|---|---|---|---|
| निर्देशन (मुख्यालय) | 35.71 | — | 35.71 |
| इन्सक्शपैन | 273.70 | 63.00 | 336.70 |
| जोड़ | 309.41 | 63.00 | 372.41 |
| जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष | 11618.26 | 1332.24 | 12950.50 |

# अध्याय दूसरा

## प्राथमिक शिक्षा

2.1 प्राथमिक शिक्षा बनियादी शिक्षा है। अत. इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये हरियाणा राज्य में इसके विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय हरियाणा राज्य मे प्राथमिक शिक्षा सुविधा राज्य की शिक्षा नीति अनुसार 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है।

2.2 हरियाणा में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

| | 1985-86 | | 1986-87 | |
|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| पूर्व प्राथमिक/बाल वाड़िया | 27 | — | 27 | — |
| प्राथमिक विद्यालय | 4530 | 548 | 4322 | 527 |

वर्ष 1986-87 में 100 नये बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इसके अतिरिक्त 79 शाखा प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा दिया गया।

2.3 रिपोर्टाधीन अवधि में छात्र संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या

1. स्तर अनुसार छात्रसंख्या

| | 1985-86 | | 1986-87 | |
|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| पूर्व प्राथमिक/बाल-वाड़ियां | 2290 | 1618 | 3340 | 2589 |
| प्राथमिक स्तर | 947888 | 627665 | 920735 | 647392 |

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

स्तर अनुसार

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पूर्व प्राथमिक/बाल-वाड़ियां | 158 | 110 | 196 | 103 |
| प्राथमिक स्तर | 195649 | 130127 | 191727 | 139976 |

प्राथमिक स्तर की छात्र संख्या के लिए वर्ष 1986-87 के योजनाधीन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति :—

| | कुल जनसंख्या (100 में) | | अनुसूचित जातियों की जनसंख्या | |
|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| (6–11 आयु) | 9613 | 9097 | 182647 | 172843 |
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| योजनाधीन (निर्धारित लक्ष्य) छात्र संख्या हजारों में (पहली से पांचवीं) | 980 | 717 | 204 | 153 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| छात्र संख्या के लक्ष्यों की प्राप्ती पहली से पांचवी (छात्र संख्या हजारों में) | 1062 | 741 | 192 | 140 |

लक्ष्य प्राप्ति की छात्र संख्या में अमान्यता प्राप्त विद्यालयों की छात्र संख्या भी सम्मलित है।

2.4 अध्यापकों की संख्या

1. कुल अध्यापकों की संख्या

| (क) विद्यालय अनुसार | 1985-86 | | 1986-87 | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| पूर्व प्राथमिक/बाल वाड़ियां | 11 | 25 | 4 | 33 |
| प्राथमिक विद्यालय | 9571 | 5970 | 9351 | 6565 |
| स्तर अनुसार | | | | |
| पूर्व प्राथमिक/बाल-वाड़ियां | 14 | 89 | 6 | 167 |
| प्राथमिक स्तर | 19966 | 14617 | 16743 | 12907 |

2. अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

| (क) विद्यालय अनुसार | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पूर्व प्राथमिक/बाल वाड़ियां | — | — | — | — |
| प्राथमिक विद्यालय | 7[illegible]7 | 66 | [illegible]78 | 107 |

(ख) स्तर अनुसार

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पूर्व प्राथमिक/बाल-वाड़ियां | 2 | — | — | — |
| प्राथमिक विद्यालय | 1414 | 226 | 1189 | 204 |

2.5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3-5 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को दी जाती है। राज्य में इस समय शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देखरेख एवं शिक्षा सुविधा के लिए 20 राजकीय बालवाड़ियां कार्यरत हैं। पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में 280 लड़के और 166 लड़कियां लाभ उठा रहे हैं।

2.6 छात्रवृति अभियान

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 10/-रु0 प्रति छात्र लेखन सामग्री के क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। इस योजना के अधीन कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी लाभान्वित किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुफ्त वर्दियां भी दी जाती हैं। राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 10/-रु0 प्रति छात्रा प्रति मास की दर से उपस्थिति पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए वर्ष 1986-87 में 135 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। 6-11 वर्ष की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्रसंख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1986-87 में इसका प्रचार/प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से करवाया गया तथा उसके लिए 1.50 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई। पहली से पांचवीं तक के 16.97 लाख छात्र संख्या लक्ष्य के सम्मुख 18.43 लाख छात्र दाखिल हुये।

### 2. शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को सम्पन्नत करने के उद्देश्य से शाला संगम योजना चालू की गई थी। शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रति मास एक दिन एकत्रित होते हैं तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा सम्बन्धी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय समय पर भाग लेते हैं।

एस0सी0ई0आर0टी0 के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास संगम बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं। जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई है। इसलिए इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए तथा इसे नई दिशा देने के सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर शाला संगम केन्द्रों के मुखियों और जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों की एक-एक दिन की बैठक बुलाई गई है।

### 2.1 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यत: ऐसा होता है कि एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अत: विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन बना दिये जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाए कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि वाले बच्चे दूसरे में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परिणाम का मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये ।

## 2.9 केयर फीडिंग कार्यक्रम

मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री सी॰ए॰आर॰ई॰ की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है । प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद दिया जाता है । वर्ष 1986–87 में 2.93 लाख बच्चों को पंजीरी आदि वितरित की गई । वर्ष 1986–87 में 42.43 लाख रुपये इस कार्यक्रम पर खर्च किये गये । दिनांक 1–1–87 से यह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है।

# अध्याय तीसरा

## माध्यमिक शिक्षा

3.1 राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है :–

| | 1985–86 | | 1986–87 | |
|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| माध्यमिक विद्यालय | 990 | 131 | 1031 | 131 |
| उच्च विद्यालय | 1502 | 280 | 1604 | 295 |
| वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय | 141 | 23 | 157 | 23 |

वर्ष 1986–87 में 200 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया तथा 102 माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर उच्च विद्यालय बनाया गया । इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में 10 विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा 4 विद्यालयों को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई । वर्ष 1985–86 में राज्य में 10+2 शिक्षा प्रणाली आरम्भ की गई है । जिन विद्यालयों में 10+2 प्रणाली लागू की गई उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है । जिन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली चल रही है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :–

| | |
|---|---|
| राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय | 146 |
| अराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय | 34 |
| राजकीय महाविद्यालय | 34 |
| अराजकीय महाविद्यालय | 73 |

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न विद्यालयों तथा विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

| | 1985-86 | | 1986-87 | |
|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| **(2) स्तर अनुसार** | | | | |
| माध्यमिक स्तर (कक्षा 6-8) | 408991 | 178566 | 439416 | 20057[illegible] |
| उच्च स्तर (कक्षा 9-10) | 170446 | 60736 | 161551 | 59459 |
| वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 11-12) | 11092 | 4684 | 22737 | 9654 |
| **(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या** | | | | |
| **स्तर अनुसार** | | | | |
| माध्यमिक स्तर (कक्षा 6-8) | 61941 | 17020 | 69235 | 22805 |
| उच्च स्तर (कक्षा 9-10) | 21608 | 4141 | 20878 | 4018 |
| वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 11-12) | 869 | 117 | 1978 | 375 |

कक्षा छठी से आठवीं तथा नौवीं से दसवीं तक की छात्र संख्या के लिए 1986-87 में योजनाधीन निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति :-

**विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या**

| | आयु 11-13 (00 में) | | आयु 14-15 (00 में) | |
|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| कुल जन जनसंख्या | 5623 | 5009 | 3701 | 323[illegible] |
| अनुसूचित जातियां | 1078 | 952 | 703 | 611 |

**योजनाधीन निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति**

| | छठी से आठवीं | | नौवीं से दसवीं | |
|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| कुल छात्र संख्या (हजारों में) | 450 | 232 | 220 | 67 |
| लक्ष्यों की प्राप्ति (हजारों में) | 464 | 214 | 166 | 62 |
| **अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या** | | | | |
| लक्ष्य (हजारों में) | 92 | 26 | — | — |
| लक्ष्यों की पूर्ति (हजारों में) | 69 | 23 | — | — |

लक्ष्य प्राप्ति की छात्रसंख्या में अमान्यता प्राप्त विद्यालयों की छात्र संख्या भी सम्मलित है ।

**3.3 अध्यापकों की संख्या**

वर्ष 1986-87 में विभिन्न विद्यालयों तथा विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

**(क) अध्यापकों की कुल संख्या**

| | 1985-86 | | 1986-87 | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं |
| **(1) विद्यालय अनुसार** | | | | |
| माध्यमिक विद्यालय | 6621 | 1126 | 6488 | 4415 |
| उच्च विद्यालय | 22608 | 12850 | 24069 | 14813 |
| वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय | 3372 | 2113 | 3658 | 2493 |
| **(2) स्तर अनुसार** | | | | |
| माध्यमिक स्तर | 12502 | 6350 | 9886 | 6246 |
| उच्च स्तर | 8658 | 3479 | 14931 | 7967 |
| वरिष्ठ माध्यमिक | 1032 | 541 | 2006 | 1166 |

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही है :–

| | 1985–86 | | 1086–87 | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| (1) विद्यालय अनुसार | | | | |
| माध्यमिक विद्यालय | 374 | 90 | 403 | 81 |
| उच्च विद्यालय | 781 | 136 | 866 | 146 |
| वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय | 50 | 8 | 62 | 16 |
| (2) स्तर अनुसार | | | | |
| माध्यमिक स्तर | 350 | 66 | 382 | 67 |
| उच्च स्तर | 157 | 23 | 502 | 65 |
| वरिष्ठ माध्यमिक स्तर | 20 | 5 | 36 | 14 |

**3.4 दोहरी पारी प्रणाली**

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है, क्योंकि कुछ विद्यालयों में छात्रसंख्या अधिक हो जाती है, अतः उन विद्यालयों में एक पारी दोपहर से पहले पड़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर के बाद पड़ती है।

**3.5 सहशिक्षा की नीति**

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिन में लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

**3.6 तेलगू भाषा की शिक्षा**

राज्य में तेलगू भाषा सातवीं और आठवीं कक्षाओं में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 35 विद्यालयों

में उपलब्ध है। इस भाषा के पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो विशेष वेतन वृद्धियों के बराबर राशि भत्ते के रूप में दी जाती है।

### 3.7 विशेष कोचिंग कक्षाएं

नौवीं दसवीं तथा 11वीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है, ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें। ये कक्षाएं आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिये। रिपोर्टाधीन अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 7000 छात्रों को लाभ पहुंचाया।

### 3.8 अराजकीय विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान

वर्ष 1986-87 में अराजकीय विद्यालयों को निम्न अनुदान दिये गये।

(क) अनुरक्षण अनुदान

राज्य में अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 1986-87 में अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 99.66 लाख रुपये की राशि वितरित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1. स्थाई मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को | 85.64 लाख रुपये |
| 2. पब्लिक स्कूल बाल भवन की विशेष अनुदान | 7.25 लाख रुपये |
| 3. साकेत कांसिल चण्डीमन्दिर को | 1.64 लाख रुपये |
| 4. संस्कृत महाविद्यालयों को | 1.49 लाख रुपये |
| 5. हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार हीयरिंग एण्ड स्पीकिंग हैण्डीकैप्ड को | 2.00 लाख रुपये |
| 6. हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार चाइल्ड वैलफेयर चण्डीगढ़ को | 1.43 लाख रुपये |

**(ख) कोठारी अनुदान**

वर्ष 1986–87 में राज्य के अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 209.14 लाख रुपये का कोठारी अनुदान स्वीकृत किया गया ।

**3.9 नवोदय विद्यालय**

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत, हरियाणा राज्य में वर्ष 1986–87 में भारत सरकार द्वारा निम्न लिखित स्थानों पर नवोदय विद्यालय खोले गये ।

1. खूंगा कोठी (जीन्द)
2. पाबड़ा (हिसार)

**3.10 कम्पयूटर लिटरेसी**

वर्ष 1986–87 में 13 विद्यालयों में कम्पयूटर लिटरेसी का कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इससे पूर्व 13 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी पहले ही चल रही थी । जो विद्यालय कम्प्यूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन–2 प्राध्यपकों को कम्प्यूटर लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया गया है और इस परियोजना की सामग्री उपलब्ध करवाई गई है ।

---

# अध्याय चौथा

## प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

### प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

4.1 लोकतान्त्रिक पद्धति में निरक्षता एक अभिशाप है । किसी भी स्वतन्त्र देश में कुछ व्यक्ति शिक्षा की सामान्य सुविधा से वंचित रह सभ्य नागरिकों के लिए बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि निरक्षता जैसी महामारी को अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए ।

आज-कल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मात्र साक्षरता नहीं रहा है, बल्कि जन साधारण अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाये, वे जो भी धंधा करते हैं उसे निपुणता से करें, ताकि उन में सामाजिक जागरुकता पैदा हो, सामान्य नागरिकता की वे जानकारी हासिल करें तथा राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से भागीदार बन सकें, प्रौढ़ शिक्षा के लिये 15–35 आयु वर्ग का चयन किया गया है । यह उम्र ऐसी है, जिसमें सभी प्रकार की महत्वकांक्षायें उभर कर सामने आती हैं । इस आयु वर्ग में आगे बढ़ने की चाह बनी रहती है और उमंगे मिटती नहीं । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण महिलायें अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसलिए अब प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पिछड़े हुए क्षेत्रों में और पिछड़े वर्ग के लिए खोले जाने पर बल दिया जाता है ।

हरियाणा राज्य की स्थापना के समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सीमित रूप से चालू था । 1-11-66 को हरियाणा राज्य में चलते-फिरते सामाजिक शिक्षा केन्द्र थे । जिसके अन्तर्गत 58 सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में कार्य कर रहे थे । वर्ष 1968-69 में भारत सरकार की ओर से

किसान साक्षरता योजना चलाई गई, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के अन्त में कुल केन्द्रों की संख्या 998 थी इसके पश्चात इस कार्यक्रम का और विस्तार हुआ ।

वर्ष 1986-87 में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्नवत थी ये केन्द्र 60 ब्लाकों से चल रहे हैं । प्रत्येक ब्लाक में लगभग 100 केन्द्र हैं । यह कार्यक्रम राज्य में 19 परियोजनाओं में चल रहा है :-

| वर्ष | कुल स्वीकृत केन्द्र | | कुल चालू केन्द्र | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिलायें | महिलायें | कुल |
| 1985-86 | 5800 | 1297 | 4501 | 5798 |
| 1986-87 | 6100 | 1485 | 4516 | 5999 |

4.2 लाभार्थियों की संख्या

(क) वर्ष 1986-87 में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रौढ़ों की संख्या निम्न थी :-

| वर्ष | पुरुष | महिलाएँ | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | 41213 | 141720 | 182933 |
| 1986-87 | 42741 | 142363 | 185104 |

(ख) अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | 13328 | 36137 | 49465 |
| 1986-87 | 13335 | 39869 | 53204 |

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | 42323 | 130527 | 172850 |
| 1986-87 | 42833 | 130997 | 173830 |

वर्ष 1986-87 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर खर्चा (प्रौविजनल) निम्न प्रकार था -

| 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम | 1985-86 (लाखों में) | 1986-87 |
|---|---|---|
| 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम | 111.23 | 121.23 |
| 2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम | 58.89 | 70.88 |
| जोड़ | 170.12 | 192.11 |

## 4.4 लाभार्थियों का मूल्यांकन

वर्ष 1986-87 में 172813 प्रौढ़ शिक्षार्थियों की पढ़ने, लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिनमें 161321 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 126200 महिलाएं थीं ।

## 4.5 स्वैच्छिक संस्थायें

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थायें भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान देती है । वर्ष 1986-87 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया वे निम्न हैं, उन संस्थाओं द्वारा चलाये गये केन्द्रों की संख्या भी उनके आगे अंकित है :-

| स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम | चालू केन्द्रों की संख्या |
|---|---|
| 1. जनता कल्याण समिति रिवाड़ी (म.गढ़) | 300 |
| 2. सैंट्रल समिति एवं शिक्षा न्यास (अम्बाला शहर) | 100 |
| शिक्षा शैक्षणिक संस्था हरियाणा, शहजादपुर (अम्बाला) | 30 |

| | |
|---|---|
| 4. पी०एच०डी० ग्रामीण विकास संस्थान लि० (दिल्ली) | 30 |
| 5. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक, राठौर (कुरुक्षेत्र) | 200 |
| 6. हरियाणा राजकीय अध्यापक भवन न्यास (नीलोखेड़ी) | 60 |
| 7 विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत) | 30 |

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। वर्ष 1986-87 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को 120 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को 152 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिया गया ।

### 4.6 राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यक सामग्री तैयार करने तथा उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र कार्यरत है । इसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

### 4.7 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981-82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई थी । इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है ।

## अनौपचारिक शिक्षा

ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से अनौपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, अंशकालिक शिक्षा देने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। हरियाणा राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान रूप-रेखा 2 अक्तूबर 1975 को अपनाई गई, जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ हुआ । वर्ष 1979-80 में

2600 प्राथमिक स्तर के तथा 120 माध्यमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत थे। कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय यह पाया गया कि माध्यमिक स्तर के केन्द्र कई कारणों, जैसे उचित योग्यता रखने वाले विज्ञान एवं गणित के अनुदेशकों का न मिलना तथा प्रयोगशाला का उपलब्ध न होना, से ठीक प्रकार से नहीं चल रहे थे। उन्हें बाद में प्राथमिक स्तर के केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्ष 1986-87 में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 6010 प्राथमिक स्तर तथा 100 माध्यमिक स्तर की थी, जिनमें निम्न केन्द्र चालू थे, यह कार्यक्रम 62 ब्लाकों में चालू था।

| वर्ष | ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिक | शहरी क्षेत्र माध्यमिक | शहरी क्षेत्र प्राथमिक | शहरी क्षेत्र माध्यमिक |
|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | 4464 | 15 | 346 | 6 |
| 1986-87 | 5631 | 51 | 346 | 8 |

रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

**प्राथमिक स्तर**

| | 1985-86 | | | 1986-87 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | जोड़ | लड़के | लड़कियां | जोड़ |
| कुल छात्र संख्या | 47070 | 93308 | 140378 | 60873 | 110062 | 170935 |
| ग्रामीण क्षेत्रों की छात्र संख्या | 44247 | 76055 | 120302 | 55637 | 99669 | 155306 |
| अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या | 14102 | 31267 | 45369 | 16522 | 32745 | 49267 |

प्राथमिक स्तर

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल छात्र संख्या | 342 | 38 | 380 | 1150 | 247 | 1397 |
| ग्रामीण क्षेत्रों की छात्र संख्या | 260 | [illegible] | 290 | 1070 | 153 | 1223 |
| अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या | 54 | 3 | 57 | 174 | 51 | 225 |

वर्ष 1986–87 में 1.54 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था जिसके सम्मुख 1.70 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया ।

### 4.3 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1986–87 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोविजनल) किया गया :–

(राशि लाखों में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | योजनोत्तर | 56.83 |
| 2. | योजना | 30.60 |

### 4.4 छात्रों को प्रोत्साहन

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्य अनुभव के लिए सामग्री उपलब्ध की जाती है । अनुसूचित जाति की लड़कियों को जिनकी कम से कम 30 प्रतिशत उपस्थिति हो, मुफ्त वर्दियां दी जाती हैं । बहुत सारे केन्द्रों में सिलाई की मशीनें, स्वैटर बुनाई की मशीनें खिलौने बैग और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए प्लास्टिक केन उपलब्ध की गई हैं ।

**4 5 मूल्यांकन**

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं, एक वे बच्चे जो बीच में ही पढ़ना छोड देते हैं तथा दूसरे वे बच्चे जो विद्यालयों में पढने कभी आये ही नहीं। पहली प्रकार के बच्चों में से कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुन: विद्यालयों में दाखिल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं, जिनका मूल्यांकन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्ष की अवधि में पाठ्य क्रम पूरा करके पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं । उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है । माध्यमिक केन्द्रों में विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा की माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है । अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षार्थियों का मूल्यांकन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारियों (प्रौढ़ शिक्षा) द्वारा किया जाता है । इस वर्ष की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

| कुल लाभार्थी | पांचवी कक्षा पास करने वाले लाभार्थी | अनौपचारिक विद्यालय में प्रविष्ट | अगली कक्षा में प्रविष्ट कराये छात्र |
|---|---|---|---|
| 169767 | 2876 | 1325 | 87615 |

4 6 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की देख-रेख के लिए अलग से कोई प्रशासकीय अमला स्वीकृत नहीं है । इन केन्द्रों की देख-रेख, मूल्यांकन आदि का कार्य जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी/परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा तथा पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है। अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी इकट्ठा दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को इकट्ठा ही रखा हुआ है और प्राय: एक ही अनुदेशक इन दोनों केन्द्रों का चलाता है।

# अध्याय पाँचवां

## छात्रवृत्तियों एवं अन्य वित्तीय सहायता

5.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य सरकार की भिन्न-2 योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से भी वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है ।

### 5.2 विद्यालयों में छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/- रुपये प्रति मास की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है । यह छात्रवृत्ति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है । वर्ष 1986-87 में 6,000/- छात्रवृत्तियां दी गई तथा इसके लिए 7.20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । वर्ष 1985-86 में 6132 छात्रवृत्तियों के लिए 7.36 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

(ख) आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में 15/-रु0 मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है । वर्ष 1986-87 में 5750 छात्रवृत्तियां दी गई तथा 11.03 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । वर्ष 1985-86 में 4528 छात्रवृत्तियों के लिए 8.15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। ऐसे छात्र जो योग्यता सूचि में आते है, परन्तु उनके माता-पिता (अभिभावक) की वार्षिक आय अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त

नहीं कर सकते, उन्हें टोकन पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। माध्यमिक स्तर पर 50/- रु० तथा प्रमाण पत्र और उच्च/वरिष्ट माध्यमिक स्तर पर 100/- रुपये तथा प्रमाण पत्र दिया जाता है।

### 5.3 सैनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां

देश के विभिन्न सैनिक विद्यालयों तथा पंजाब पब्लिक विद्यालय नाभा में शिक्षा ग्रहण करने वाले 600 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृतियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 24.60 लाख रुपये व्यय किये गये जबकि वर्ष 1985-86 में 571 छात्रों पर 24.57 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

### 5.4 राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधायें

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेद भाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते है। निशुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रति-पूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं से 12वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 20/- रुपये की दर से छात्रवृति दी गई। वर्ष 86-87 में इस योजना पर 131.86 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 54942 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

### 5.5 तेलगु भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति

राज्य में तेलगु भाषा पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन हेतु 3 छात्रवृतियां प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के लिए 10/- रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है।

### 5.6 हरिजन छात्राओं को योग्यता छात्रवृति योजना

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को

योग्यता के आधार पर प्रत्येक कक्षा के लिए 60–60 छात्रवृतियां (180) छात्रवृतियां दी जाती हैं। यह छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं तथा 11वीं कक्षाओं में क्रमशः 40/- रु0 50/- रु0 और 60/- प्रतिमास की दर से दी जाती है। वर्ष 1986-87 में इन छात्रवृतियों में से केवल 155 छात्रवृतियां ही दी गई जिस पर 0.95 लाख रुपये व्यय हुये।

**5.7 विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृतियां**

विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृतियां देने के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1986 87 में इस परियोजना पर 6.47 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 6100 छात्रों को लाभ पहुंचाया गया।

**5.8 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना**

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 7 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं। छात्रवृतियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं, उन्हें 100/- रुपये प्रति मास, डे स्कालरज़र्ज को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो 9वीं तथा 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/- रु0 प्रति मास और 11 वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ने वालों को 60/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 1986-87 में इसके लिए 3.98 लाख रुपये की व्यवस्था की गई जबकि वर्ष 1985-86 मे यह राशि 2.63 लाख रुपये थीं। यह छात्रवृति पहले 5 छात्रवृति प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती थी। परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि से इन्हें बढ़ाकर प्रति विकास खण्ड 7 कर दिया है। इसलिए धन व्यवस्था भी 2.63 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.98 लाख रुपये कर दी गई है।

# अध्याय छटा

## (विविध)

### 6.1 शिक्षक प्रशिक्षण

राज्य में विद्यालयों को पर्याप्त मात्रा में शिक्षित अध्यापक उपलब्ध करने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध है। वर्ष 1986-87 में ओ० टी० प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द रहा। केवल बी० एड० प्रशिक्षण का कार्यक्रम निम्नलिखित संस्थाओं में चालू रहा।

1. राजकीय जे० बी० टी० विद्यालय, फिरोजपुर (गुड़गांवा)
2. —सम— आदमपुर (हिसार)
3. —सम— पाबड़ा (हिसार)
4. —सम— ओढ़ा (सिरसा)
5. —सम— गुण्डरी (कुरुक्षेत्र)

### 6.2 समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इसे नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना दिया है। वर्ष 1986-87 में उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को इस कार्यक्रम के लिये 1.87 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इतनी ही राशि की इन विद्यालयों को वर्ष 1985-86 में व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त 500/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से 1000 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 1986-87 में 5.00

लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1985-86 में इस राशि की मात्रा 3.00 लाख रुपये थी।

### 6.3 विद्यालयों के भवनों की देखभाल

राज्य में विद्यालयों के भवनों की अच्छी दशा रखने के लिये सरकार विशेष ध्यान देती है। रिपोर्टाधीन अवधि में गैर योजना पक्ष से राजकीय विद्यालयों की मुरम्मत के लिये 45.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त योजना पक्ष पर 239 राजकीय विद्यालयों के भवनों की विशेष मुरम्मत के लिये 220.27 लाख रुपये की लागत के अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में 1080 अतिरिक्त कमरों के निर्माणार्थ एन0आर0ई0पी0 आर0एल0जी0 ई0पी0 योजना के तहत 108.00 लाख रुपये की राशि योजना पक्ष पर जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जिलों के उपायुक्तों की स्वीकृति के लिये रखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं की देख-भाल हेतु गैर योजना पक्ष पर 2.50 लाख रुपये की राशि जिला शिक्षा अधिकारियों की स्वीकृति के लिये रखी गई।

दो राजकीय उच्च विद्यालयों के भवनों के निर्माणार्थ 28.82 लाख रुपये की लागत की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई।

वर्ष 1986-87 के दौरान छात्र भवन निधि नियम में संशोधन किया गया। इसके अन्तर्गत छात्रों से एकत्रित की जाने वाली भवननिधि की राशि का 70 प्रतिशत भाग जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त करेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत विद्यालय स्तर पर रखा जाएगा।

### 7.4 भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है। विद्यालय में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा

मे पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 38 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्धित हों तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार ने उन 19 अराजकीय विद्यालयों में जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है। भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा देने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

### 6.5 विद्यालय क्रीडा

वर्ष 1986-87 में हरियाणा राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर अगरतला, अमरावती, नादियाद, दिल्ली, गोहाटी तथा आगरा में आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर इस राज्य के 590 खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा 110 पदक प्राप्त किए। इस कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा 6 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्य स्तर पर विद्यालयों के खिलाड़ियों के लिए 17 खेल एवं योगा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा इन प्रतियोगिताओं के लिए 50,000/- रु० की राशि स्वीकृत की गई।

भारत सरकार की "पारितोषिक राशि प्रतियोगिता योजना" के अन्तर्गत इस राज्य के 86 विद्यालय ने 10.10 लाख रुपये की राशि प्राप्त की।

एक योजनाधीन स्कीम के अन्तर्गत 26 उच्च तथा वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालयों में खेल का सामान प्रदान करने के लिए 4.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

500 प्राथमिक विद्यालयों को खेल का सामान प्रदान करने तथा खेलों की सुविधा बढ़ाने के लिए 3000/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से 15 लाख रुपये व्यय किए गए । 300 पी० टी० आई०/डी० पी० ई० को योगा तथा अन्य खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए भिवानी, गुड़गांवा तथा कुरुक्षेत्र में दो सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर लगाये गए।

### 6.6 अध्यापक खेल समारोह

राज्य में प्रति वर्ष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है। इस खेल समारोह की प्रतियोगिताओं में केवल विद्यालयों के अध्यापक ही भाग लेते हैं। वर्ष 1986-87 में इस समारोह का आयोजन दिनांक 2.9.86 से 5.9.86 तक कुरुक्षेत्र में किया गया। प्रतिभागी शिक्षकों को मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

### 6.7 अध्यापक पुरस्कार

वर्ष 1986-87 में हरियाणा राज्य के दो प्राईमरी तथा दो सैकण्डरी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राईमरी शिक्षक के नाम श्री सन्त लाल और श्री नन्द लाल और सैकण्डरी शिक्षकों के नाम हैं, 1. श्री रघुनाथ और 2. श्री नारायण शास्त्री ।

### 6.8 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत, उन अध्यापकों, अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विषम स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है। इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी पर तथा उनके लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता है। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है। वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत 789325/- रुपये की सहायता दी गई।

**6.9 बुक बैंक**

राज्य में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की हुई है। वर्ष 1986-87 में सरकार ने इनके लिए पुस्तकें खरीदने हेतु 15 लाख रुपये योजनाधीन तथा 22.50 लाख रुपये नान-प्लान स्वीकृत किए। इस राशि में से 27 लाख रुपये की राशि से पहली से पांचवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें तथा 10.50 लाख रुपये से छठी से बारहवीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें खरीदी गई। इन बुक बैंकों से वर्ष 1986-87 में चार लाख छात्रों को लाभ पहुंचा।

**6.10 पाठ्य पुस्तक कक्ष**

कक्षा 1-2 के लिए युनिसेफ परियोजना-2 के अन्तर्गत निर्मित पुस्तकें जो हरियाणा के एक विशेष क्षेत्र के विद्यालयों के लिए बनी थी, उन्हें सारे राज्य के विद्यालयों में लगाने हेतु विभाग के पाठ्यक्रम अनुसार एस० सी० ई० आर० टी० गुड़गांवा तथा निदेशालय के पाठ्य पुस्तक कक्ष में तैयार किया गया और फिर ये चारों पुस्तकें रंगीन ही मुद्रित करवाई गई ताकि वे बच्चों का अधिक आकर्षक तथा रुचिकर लगें। रंगीन मुद्रण के कारण महंगी छपाई का प्रभाव बच्चों पर न पड़े। इस आशय हेतु सरकार से 15.05 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत करवाई गई तथा रंगीन पुस्तकें होने के बावजूद भी कक्षा 1-2 की पाठ्य पुस्तकों के मूल्य लगभग पहले वाले ही रहे। तीसरी तथा चौथी की हिन्दी और गणित की युनिसेफ परियोजना के अन्तर्गत निर्मित पुस्तकें वर्ष 1988-89 से राज्य के सारे विद्यालयों में लगाने हेतु विभाग के पाठ्यक्रम के अनुसार एस० सी० ई० आर० टी० गुड़गांवा के पाठ्य पुस्तक कक्ष के सदस्यों की सहायता से संशोधित तथा अद्यतिक की गई।

वर्ष 1985-86 से राज्य में पाठ्य पुस्तकों के लिए नई वितरण प्रणाली लागू है। इसके अनुसार सभी विद्यालयों के मुख्याध्यापक प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के अधीन कार्यरत राजकीय बिक्री भण्डारों से सीधे प्राप्त कर सकते हैं और इस खरीद पर विद्यालयों को भी 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। कुल पुस्तक संख्या का 60 प्रतिशत विद्यालयों को और 40 प्रतिशत बुक सैलर्ज को दिया जाता है। लेखकों के कुछ वित्तीय मामले निपटाए गए तथा प्रकाशकों के रायल्टी सम्बन्धी मामले निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री को भेजे गए।

### 6.11 नई शिक्षा नीति

इस राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तीन निम्नलिखित समितियों का गठन किया हुआ है :-

1. मन्त्री मण्डल की उप समिति
2. विभागीय समिति
3. उच्च शक्ति प्राप्त कर्णधार समिति

नई शिक्षा नीति को लागू करने बारे विभाग द्वारा उठाए गए आवश्यक पगों की समीक्षा करती रहती है।

### 6.12 विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और वर्ष 1986-87 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 23,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

### 6.13 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षा के स्तरोन्नयन तथा विभिन्न, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है। अपने अल्पकाल में ही यह ... विविध कार्यकलापों में संलग्न इकाईयों के माध्यम से ... का समयानुरूप करने हेतु यथा सामर्थ्य प्रयासरत है।

NIEPA DC
D05075

19891—DPI—HGP., Chd.

D-5075
15/11/90